

पत्रांक : 5360 / आयु०क०उत्तराखण्ड / धारा-57 अनु० / वाणि०कर / 2015-16 / देहरादून।

कार्यालयः-आयुक्त कर उत्तराखण्ड।

(धारा-57, अनुभाग)

देहरादून: दिनांक: 06, फरवरी, 2016

प्रार्थना पत्र संख्या - 15 / 03-12-15

द्वारा - सर्वश्री Zebronics India Pvt. Ltd, 57-Indira Nagar, Dehradun.

उपस्थिति - श्री पवन कुमार गुप्ता, अधिवक्ता फर्म।

निर्णय का दिनांक - 06/फरवरी/2016

उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा-57 के अन्तर्गत निर्णय

सर्वश्री Zebronics India Pvt. Ltd, 57-Indira Nagar, Dehradun द्वारा धारा-57 के अन्तर्गत यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में “पावर बैंक (Power Bank)” पर करदेयता स्पष्ट करने का अनुरोध किया गया है।

व्यापारी के प्रार्थना पत्र पर ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक/प्रवर्तन) वाणिज्य कर, देहरादून सम्भाग, देहरादून से आख्या प्राप्त की गयी। ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक/प्रवर्तन) वाणिज्य कर, देहरादून सम्भाग, देहरादून द्वारा निम्न प्रकार आख्या प्रेषित की गयी है :-

“ पोर्टेबल पावर बैंक एक प्रकार की बैटरी है, जिसमें इलैक्ट्रिक एनर्जी स्टोर की जाती है तथा जिसके द्वारा विभिन्न प्रकार के उपकरणों को चार्ज किया जाता है। यदि मूल्य वर्धित कर अधिनियम में विहित प्राविधानों के परिप्रेक्ष्य में पोर्टेबल पावर बैंक पर कर की दर को देखा जाए तो मूल्य वर्धित कर अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (2) में कर की दर हेतु निर्धारित अनुसूचियों में पोर्टेबल पावर बैंक नाम से कोई भी वर्तु वर्गीकृत नहीं की गयी है तथा यह किसी भी वर्गीकृत वर्तु का पार्ट या एसेसरीज भी नहीं है। अतः इसकी विकी पर अवर्गीकृत वर्तुओं की भाँति 13.5 प्रतिशत की दर से करदेयता आकर्षित होती है।”

धारा-57 के प्रार्थना पत्र की सुनवाई हेतु श्री पवन कुमार गुप्ता, अधिवक्ता फर्म उपस्थित हुए एवं उनके द्वारा यह अवगत कराया गया कि फर्म द्वारा पावर बैंक की खरीद बिकी का कार्य किया जाता है। पावर बैंक इलैक्ट्रिक पावर को स्टोर करने के उपयोग में आती है, जिसका प्रयोग मोबाइल, एम पी३/एम पी४ तथा टेबलेट इत्यादि को चार्ज करने में किया जाता है। इसके अतिरिक्त पावर बैंक में संव्यवहार करने वाले कतिपय व्यापारियों द्वारा उक्त की बिकी पर 5 प्रतिशत तथा अन्य के द्वारा 13.5 प्रतिशत की दर से करदेयता स्वीकार किये जाने के परिप्रेक्ष्य में उनके द्वारा पावर बैंक पर करदेयता स्पष्ट किये जाने का अनुरोध किया गया।

व्यापारी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उल्लिखित तथ्यों तथा ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक/प्रवर्तन) वाणिज्य कर, देहरादून सम्भाग, देहरादून द्वारा प्रेषित आख्या का अवलोकन किया गया।

पावर बैंक को निम्न प्रकार परिभाषित करने सहित इसके उपयोग निम्नवत हैं:-

“A Power bank is a device used to put energy into a secondary cell or rechargeable battery by forcing an electric current through it. In short, Power bank is portable charger which can be used in charging mobile phone, mp3, mp4, ipad, cameras, portable speakers and other digital products. Portable Power Banks are comprised of a special battery in a special case with a special circuit to control power flow. They allow to store electrical energy (deposit it in the bank) and then later use it to charge up a mobile device (withdraw it from the bank). Power bank may also be known as Power Stations or Battery Banks, too.”

उपरोक्त परिभाषा एवं उसके प्रयोग से स्पष्ट है कि पोर्टेबल पावर बैंक एक प्रकार की बैटरी है, जिसमें इलैक्ट्रिक पावर स्टोर किया जाता है एवं तदुपरांत इसके द्वारा विभिन्न प्रकार के उपकरणों को चार्ज करने में इसका प्रयोग किया जाता है।

उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (2) के खण्ड (ख) के उपखण्ड (i) के अन्तर्गत वर्णित अनुसूची II (ख) की प्रविष्टि संख्या 61 में विभिन्न सूचना प्रौद्योगिकी उत्पाद उल्लिखित हैं


परन्तु उनमें पोर्टेबल पावर बैंक समिलित नहीं है। इसके अतिरिक्त उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम के अन्तर्गत किसी अन्य अनुसूची से भी उक्त वस्तु आच्छादित नहीं है। अतः इस प्रकार उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम के अन्तर्गत वर्णित विभिन्न अनुसूचियों में पोर्टेबल पावर बैंक नाम से कोई प्रविष्टि वर्गीकृत नहीं है।

उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (3) के खण्ड (ग) में प्राविधानित है कि 'किसी वस्तु के ऐसे पाटर्स, स्पेयर्स एवं एसेसरीज, जिनकी कर दर मूल अधिनियम में कहीं अन्यत्र परिभाषित न हो, पर कर की दर वही होगी जो कि मूल अधिनियम के अनुसार उस वस्तु पर देय है।' इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि पोर्टेबल पावर बैंक उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम के अन्तर्गत वर्गीकृत किसी वस्तु का पाटर्स या एसेसरीज भी नहीं है क्योंकि यह स्वतन्त्र रूप से विक्रय की जाने वाली वस्तु है, जिसका उपयोग विभिन्न प्रकार के उपकरणों को चार्ज करने में किया जाता है।

अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों के दृष्टिगत पोर्टेबल पावर बैंक अवर्गीकृत वस्तुओं की भाँति 13.5 प्रतिशत की दर से कराधेय है।

तदनुसार आवेदन कर्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया जा रहा है।

इस निर्णय की प्रतिलिपि आवेदनकर्ता तथा सम्बन्धित कर निर्धारण अधिकारी को आवश्यक कार्यवाही हेतु पृथक—पृथक भेजी जाए।


(दिलीप जावलकर)
आयुक्त कर,
उत्तराखण्ड।

पृ००४०सं० / दिनांक : उक्त ।

प्रतिलिपि :—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1— सचिव वित्त, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
- 2— महालेखाकार, उत्तराखण्ड, वैभव पैलेस, इंदिरानगर, देहरादून।
- 3— एडिशनल कमिशनर, वाणिज्यकर, देहरादून/हरिद्वार/काशीपुर/रुद्रपुर जोन।
- 4— समस्त ज्वाइन्ट कमिशनर (कार्य०/प्रव०) वाणिज्य कर, देहरादून/ऋषिकेश/हरिद्वार/रुड़की/काशीपुर/बाजपुर/रुद्रपुर/खटीमा को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वे उक्त की अतिरिक्त प्रतियाँ कराकर अपने अधीनस्थ अधिकारियों/बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों/व्यापारी संगठनों के अध्यक्ष/सचिव को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
- 5— ज्वाइन्ट कमिशनर (अपील) वाणिज्य कर, देहरादून/हल्द्वानी।
- 6— श्री अनुराग मिश्रा डिप्टी कमिशनर वाणिज्य कर एवं web Information Officer को विभागीय Website पर Update करने हेतु।
- 7— डिप्टी कमिशनर (क०नी०)-१ प्रेमनगर, देहरादून।
- 8— नेशनल लॉ हाउस बी-२ मार्डन प्लाजा बिल्डिंग अम्बेडकर रोड, गाजियाबाद।
- 9— नेशनल लॉ एण्ड मैनेजमेन्ट हाउस-१५/५ राजनगर, गाजियाबाद।
- 10— लॉ पब्लिकेशन व्यापार कर भवन, कलैक्ट्रेट कम्पाउण्ड, राजनगर, गाजियाबाद।
- 11— कार्यालय अधीक्षक की केन्द्रीय गार्ड फाईल हेतु।
- 12— विधि अनुभाग की गार्ड फाईल हेतु।

✓ आयुक्त कर,
उत्तराखण्ड